1514

Reader
03/2/25

न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर

राजस्व वाद संख्या संख्या 67/2024 जिला अजमेर

रामनिवास बनाम रामदयाल व अन्य

प्रार्थना पत्र वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध की गई अनुपस्थिति को निरस्त किये जाने बाबत अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जा0 दी0

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से निम्न निवेदन है :–

1. यह कि उक्त उनवानी राजस्व वाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु विचाराधिन है जिसमें आज दिनांक 3.2.2025 की पेशी नियत है।

2 यह उक्त राजस्व वाद में श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 28.8.2024 को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध अनुपस्थिति दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जा चुके है तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 अपनी बिमारी के कारण उक्त दिनांक को श्रीमान न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका तथा उक्त राजस्व वाद अभी प्राथमिक स्थिति में ही है तथा प्रार्थी को अपनी ओर से जवाब ,सबूत ,साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

R/C
11/11/25

3 यह कि प्रार्थी अनुसुचित जाति का व्यक्ति होकर अनपढ एवं वृद्ध व्यक्ति है जिसे कानूनी बारिकियों की जानकारी नहीं है तथा प्रार्थी को अपनी ओर से जवाब , सबूत , साक्ष्य प्रंस्तुत किये जाने का आदेश प्रदान किया जान न्यायोचित है।

4 यह कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाने पर किसी भी पक्षकार के हक एवं विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 28.8.2024 की गई अनुपस्थिति को माफ किया जाकर प्रार्थी को जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अजमेर,

दिनांक 3/2/25

प्रार्थी /प्रतिवादी संख्या 1

जरिये अभिभाषक

(महेन्द्र सिंह चौहान)

6/2024

राजनिवासी/कमला व अन्य

धारा – 88, 53, 188 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11/11/25.	उभयपक्ष के वकील उप०। वकील उभयपक्ष ने प्रा० पत्र 09 R7 सपठित धारा 151 CPC के जवाब/बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली दिनांक 16/1/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (मु०), अजमेर	
16/1/26	उभयपक्ष के वकील उप०। वकील वादी द्वारा प्रा० पत्र 09 R7 सपठित धारा 151 CPC का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया। उन्हें प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। वकील वादी द्वारा ऐतराज पेश नहीं करने पर उक्त प्रार्थना-पत्र सपठित के राशि का 200/- की कास्ट पर स्वीकार किया जाता है, वकील प्रतिवादी सं० 1 द्वारा कास्ट राशि अदा की गई जिसका कैश वकील वादी द्वारा प्राप्त किया गया। उपस्थित वकील उभयपक्ष ने प्रार्थना-पत्र जवाबदावा प्रस्तुत किए जाने बाबत पर जवाब/सुनवाई हेतु समय चाहा। पत्रावली दिनांक 29/1/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (मु०), अजमेर	Cost Paid Manoj (हस्ताक्षर)